दृष्टि
The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

जनवरी भाग-2
2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम **5**

- नई व्हाट्सएप नीति और गोपनीयता 5

आर्थिक घटनाक्रम **7**

- संधारणीय खनन 7
- भारत में पर्यटन क्षेत्र 8
- भारत में महिला श्रम बल 10
- COVID-19 महामारी और डिजिटल शिक्षा 12
- शैडो उद्यमिता 14
- डिजिटल सेवा कर 16
- बढ़ती असमानताएँ 18
- समृद्ध प्रौद्योगिकी कंपनियों का एकाधिकार 20

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम **22**

- भारतीय प्रवासी समुदाय 22

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **24**

- बर्ड फ्लू संकट 24

सामाजिक न्याय **26**

- सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना 26

दृष्टि The Vision

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

नई व्हाट्सएप नीति और गोपनीयता

संदर्भ:

हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी व्हाट्सएप ने अपनी गोपनीयता नीति का अद्यतन या अपडेटेड संस्करण जारी किया है और इसके अनुसार, व्हाट्सएप द्वारा उपयोगकर्त्ताओं के डेटा को अपने समूह की अन्य कंपनियों (जैसे-फेसबुक) के साथ साझा किया जा सकता है। व्हाट्सएप के नए अपडेट ने इस एप का उपयोग करने वाले लोगों के समक्ष गोपनीयता संबंधी चिंता उत्पन्न कर दी है। कई गोपनीयता विशेषज्ञों और निकायों ने व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति के संदर्भ में आशंकाएँ व्यक्त की हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान में देश में किसी भी डेटा सुरक्षा कानून के अभाव में भारतीय उपभोक्ता इस नीति परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अधिक सुभेद्य हैं ।

गौरतलब है कि के.एस. पुत्तास्वामी बनाम भारतीय संघ मामले के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और वर्तमान में व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति में हुए इस परिवर्तन ने भारत में एक मज़बूत डेटा सुरक्षा कानून की आवश्यकता को पुन: रेखांकित किया है।

व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति से संबंधित मुद्दे:

- डेटा स्वामित्व: वे जानकारियाँ जो व्हाट्सएप अपने उपभोक्ताओं से एकत्र करता है और इस नीति के लागू होने के बाद जिसे वह फेसबुक के साथ साझा करेगा, उनमें शामिल हैं- मोबाइल फोन नंबर, उपयोगकर्त्ता गतिविधि और व्हाट्सएप खाते की अन्य बुनियादी जानकारियाँ आदि।
- फेसबुक के साथ उपयोगकर्त्ता का डेटा साझा करने के व्यावसायिक उद्देश्य से व्हाट्सएप की गोपनीयता नीति का हालिया परिवर्तन यह स्थापित करता है कि अब व्हाट्सएप मात्र एक मध्यस्थ होने के बजाय उपभोक्ताओं के डेटा का मालिक भी है।
- यह नीति मूल रूप से उपभोक्ताओं को अब तक प्राप्त उस विकल्प को समाप्त कर देती है जिसके तहत उन्हें अपने डेटा को फेसबुक के स्वामित्त्व वाले या किसी तीसरे पक्ष के एप के साथ साझा करने का अधिकार था।

नोट: मध्यस्थ

- इंटरनेट के क्षेत्र में मध्यस्थ या बिचौलियों की मूल परिभाषा यह है कि इन प्लेटफॉर्मों के पास किसी कंटेंट या सामग्री का स्वामित्त्व नहीं होता है बल्कि ये मात्र एक ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ तृतीय पक्ष की संस्थाएँ अपनी सामग्री या कंटेंट प्रस्तुत करती हैं।
- यदि इन प्लेटफॉर्मों पर कोई गैर-कानूनी गतिविधि या सामग्री देखी जाती है तो यह विशेष दर्जा ही उन्हें इसके किसी भी उत्तरदायित्व से बचाता है।
- इस तरह के मामलों में सरकार संबंधित मध्यस्थ को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर गैर-कानूनी सामग्री को हटाने का निर्देश देती है।
- यदि व्हाट्सएप स्वचालित रूप से डेटा साझा करता है, तो इसे एक मध्यस्थ नहीं माना जा सकता है।
- ऐसी स्थिति में यह कभी भी अपने मंच पर पाई जाने वाली किसी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रति उत्तरदायित्व के संबंध में प्राप्त प्रतिरक्षा को खो सकता है।
- श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट के खिलाफ: व्हाट्सएप की नई नीति 'श्रीकृष्ण समिति ' की रिपोर्ट की सिफारिशों, जो कि 'डेटा संरक्षण विधेयक, 2019' को आधार प्रदान करती है, की अवहेलना करती है। उदाहरण के लिये:
- डेटा स्थानीयकरण के सिद्धांत का उद्देश्य देश के बाहर निजी डेटा के हस्तांतरण पर अंकुश लगाना है, अत: यह व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति के साथ विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, किसी भी कंपनी द्वारा एक उपभोक्ता के डेटा को सिर्फ उसी उद्देश्य के लिये उपयोग किया जा सकता है जिसके लिये उसे साझा किया जाता है। हालाँकि व्हाट्सएप की नई गोपनीयता नीति को डेटा के व्यावसायिक दोहन और राजनीतिक अभियानों द्वारा सूक्ष्म लक्ष्यीकरण (जैसे- कैम्ब्रिज एनालिटिका मामला) का माध्यम उपलब्ध कराने के कदम के रूप में देखा जा सकता है।

नोट :

- मेटाडेटा का साझाकरण: व्हाट्सएप के अनुसार, नई गोपनीयता नीति में 'एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन' (End-to-End Encryption) का प्रावधान अभी भी बरकरार है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि व्हाट्सएप उपभोक्ताओं के संदेशों को नहीं देख सकेगा और न ही उन्हें किसी के साथ साझा कर सकेगा।
- हालाँकि नई गोपनीयता नीति के लागू होने के बाद अब व्हाट्सएप किसी उपभोक्ता का मेटाडेटा भी साझा कर सकता है, जिसका अर्थ है कि बातचीत के मूल संदेशों के अतिरिक्त सबकुछ साझा किया जा सकता है।

मेटाडेटा:

- यह वस्तुत: किसी व्यक्ति की ऑनलाइन गतिविधियों की विस्तृत (360-डिग्री) जानकारी/ब्योरा उपलब्ध कराता है।
- वर्तमान में किसी व्यक्ति की निजी और व्यक्तिगत गतिविधियों में इस स्तर का हस्तक्षेप एक व्यवस्थित नियामकीय पर्यवेक्षण या सरकारी निरीक्षण के बगैर ही किया जाता है।
- 'टेक इट ऑर लीव इट' की नीति: यदि उपयोगकर्त्ता व्हाट्सएप की अद्यतन गोपनीयता नीति से असहमत हैं, तो इस नई नीति लागू होने के बाद उनके पास व्हाट्सएप छोड़ने के अतिरिक्त कोई और विकल्प नहीं होगा।

आगे की राह:

- डेटा संरक्षण कानून निर्माण प्रक्रिया में तेज़ी लाना: भारत के डेटा सुरक्षा कानून की प्रक्रिया कई वर्षों से सुस्त पड़ी है, यदि वर्तमान में भारत में डेटा सुरक्षा कानून होता, तो व्हाट्सएप शुरुआत में ही इस अपडेट के साथ आगे नहीं बढ़ पाता।
- उदाहरण के लिये यूरोपीय क्षेत्र में रहने वाले उपभोक्ताओं पर व्हाट्सएप की इस अद्यतन गोपनीयता नीति के दिशा-निर्देश नहीं लागू होंगे, क्योंकि वहाँ पहले से ही एक मज़बूत डेटा संरक्षण कानून [जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (General Data Protection Regulation- GDPR)] लागू है।
- अत: भारत को अपने डेटा सुरक्षा कानून को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में तेज़ी लानी चाहिये।
- इसके अतिरिक्त भारत द्वारा मौजूदा व्हाट्सएप मुद्दे का उपयोग प्रक्रियाधीन मध्यस्थ दिशा-निर्देशों को अद्यतन करने के लिये भी किया जाना चाहिये।
- जन-जागरूकता: कई विशेषज्ञों के अनुसार, जन सामान्य के लिये गोपनीयता नीतियों को समझने की जटिलता के कारण भारत में व्हाट्सएप के अधिकांश उपभोक्ताओं पर इस बदलाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस बात की संभावना अधिक है कि वे बगैर किसी प्रश्न के व्हाट्सएप का प्रयोग जारी रखेंगे।
- ऐसे में सरकार और नागरिक समाज द्वारा डिजिटल गोपनीयता के महत्त्व से जनता को अवगत कराने के लिये जागरूकता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

लगभग एक अरब नागरिकों की गोपनीयता, एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है जिसे व्यावसायिक उद्यम की गतिविधियों के लिये छोड़ दिया जाना तर्कसंगत नहीं होगा। अत: इस संदर्भ में एक मज़बूत कानून का निर्माण बहुत ही आवश्यक है जो उपभोक्ताओं को सुरक्षा की गारंटी प्रदान कर सके।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

संधारणीय खनन

संदर्भ:

भारत की राष्ट्रीय खनन नीति, 2019 के अनुसार, "प्राकृतिक संसाधन (खनिज सहित) साझा विरासत हैं जहाँ राज्य (State) लोगों की तरफ से इसका संरक्षक है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य की पीढ़ियों को भी इस विरासत का लाभ मिल सके।"

हालाँकि खनन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सीमित संसाधनों को निकालने और उनका उपभोग करने की प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार और राज्य सरकारें खनिजों की बिक्री से होने वाली आय को राजस्व या सामान्य आय के रूप में मानती हैं। इन गतिविधियों के कारण न तो खनिज और न ही उसके लाभ को भविष्य की पीढ़ियों के लिये सुरक्षित रखा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त विश्व की आर्थिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करने में खनन से प्राप्त खनिजों का योगदान लगभग 45% है, इतने बड़े पैमाने पर खनन करने के सामाजिक और पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी हैं।

इस संदर्भ में पीढ़ीगत समानता के सिद्धांत को अपनाया जाना आवश्यक है, जो भविष्य की पीढ़ियों के लिये कम-से-कम उतनी विरासत की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाता है, जितना कि वर्तमान पीढ़ी के लिये उपलब्ध है।

गैर-संधारणीय खनन से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ:

- वहनीय क्षमता के परे खनन: कई मामलों में पर्यावरण और अन्य अवसंरचनात्मक सीमाओं की 'वहनीय क्षमता' की परवाह किये बगैर खनन कार्यों को जारी रखा जाता है।
- यह व्यवहार पर्यावरण पर परिहार्य दबाव डालने के साथ खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिये असुविधा का कारण बना है।
- सार्वजनिक राजस्व की हानि: खनन क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी और लॉबिंग, राजनीतिक दान और भ्रष्टाचार से प्रेरित होने के कारण खनिजों को अक्सर उनके संभावित वास्तविक मूल्य से काफी कम पर बेचा जाता हैं।
- गैर-कानूनी खनन का भी समान प्रभाव देखा जाता है और इससे अतिरिक्त सार्वजनिक राजस्व का नुकसान होता है।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, गैर-संधारणीय खनन के कारण संसाधन संपन्न कई देशों की सरकारें सार्वजनिक क्षेत्र के निवल मूल्य में गिरावट का सामना करती हैं।
- छोटे खदानों की संख्या में वृद्धि: भारत के अधिकांश राज्यों में कई छोटी खदानें (गौण खनिजों की खदानों सहित) संचालित होती हैं।
- ये छोटी खदानें सतत् विकास के लिये कठिन चुनौतियाँ प्रस्तुत करती हैं क्योंकि इनकी वित्तीय, तकनीकी, और प्रबंधकीय सीमाएँ सुधारात्मक उपाय करने की उनकी क्षमता को सीमित करती है।
- बढ़ती असमानता और प्राकृतिक संपदा की हानि: खनन में शामिल कोई भी कंपनी स्वाभाविक रूप से जल्दी-से-जल्दी खनन का कार्य पूरा कर आगे बढ़ना चाहती है। यह असमानता को बढ़ावा देता है, क्योंकि बगैर व्यवस्थित पुनर्वितरण के चलते कुछ ही कंपनियाँ अत्यधिक संपत्ति एकत्र करने में सफल हो जाती हैं।
- इससे प्राकृतिक संपदा का भी नुकसान होता है। उदाहरण के लिये वेदांता (खनन कंपनी) की वार्षिक रिपोर्ट से यह अनुमान लगाया जाता है कि मात्र आठ वर्षों (वर्ष 2004-2012) में ही गोवा राज्य ने अपनी लगभग 95% से अधिक खनिज संपदा को खो दिया है।

आगे की राह:

- जीवन-चक्र दृष्टिकोण: खनन चक्र के प्रत्येक स्तर (अन्वेषण, खान नियोजन, निर्माण, खनिज निष्कर्षण, खदान बंद करना और खनन कार्य पूरा होने के बाद पुनर्ग्रहण व पुनर्वास) पर संधारणीय सिद्धांतों को अपनाए जाने की आवश्यकता है। इन सिद्धांतों में शामिल घटकों में से कुछ निम्नलिखित हैं:
- इंट्रा और इंटर-जनरेशनल इक्विटी

नोट :

- निवारक सिद्धांत
- वैज्ञानिक खनन
- पर्यावरणीय और सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का प्रबंधन आदि
- फ्यूचर जनरेशन फंड की स्थापना: खनन से प्राप्त आय का लाभ भविष्य की पीढ़ियों को मिल सके इसके लिये भारत में भी नॉर्वे की तरह एक 'फ्यूचर जनरेशन फंड' (Future Generations Fund) का निर्माण किया जाना चाहिये, गौरतलब है कि नॉर्वे में खनिजों की बिक्री से प्राप्त आय को 'फ्यूचर जनरेशन फंड' में सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान किया गया है।
- वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने 'गोवा खनिज अयस्क स्थायी निधि' (Goa Iron Ore Permanent Fund) के निर्माण का आदेश देकर एक विश्व स्तरीय न्यायिक मिसाल कायम की थी। यह मॉडल सभी प्रमुख खनन क्षेत्रों में अनुकरण करने योग्य है।
- ज़ीरो लॉस सिद्धांत का पालन: यदि हम अपनी खनिज संपदा को निकालते और बेचते हैं, तो इसके दौरान 'शून्य हानि' या 'ज़ीरो लॉस सिद्धांत' का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।
- राज्य को एक संरक्षक के रूप में अधिकतम राजस्व (बिक्री मूल्य में निकासी की लागत को घटाकर प्राप्त राशि, निकासी लागत में खनन करने वाले के लिये उचित लाभ को शामिल करते हुए) को एकत्र करना चाहिये।
- लघु खनन उद्यमों का संघ: छोटी खानों के लिये संधारणीय विकास गतिविधियों के संचालन में व्याप्त सीमाओं को कम करने हेतु संबंधित क्षेत्र में लघु खनन उद्यम संघ को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- साथ ही उन्हें संबंधित क्षेत्रों में तकनीकी सलाहकार सेवाएँ भी उपलब्ध कराई जानी चाहिये।
- एन्वायरमेन्टल फुटप्रिंट्स फ्रेमवर्क: एक सार्वजनिक स्थायी खनन ढाँचे का विकास किया जाना चाहिये जो कि खनन के पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने पर केंद्रित हो।
- खनन परिचालन की संधारणीयता का आकलन करने के लिये रणनीति विकसित की जानी चाहिये , जिसमें विभिन्न पर्यावरणीय प्रदर्शन मानकों पर खनन परिचालन को मापना, इसकी निगरानी और इसमें आवश्यक सुधार करना शामिल है।
- खनन में पर्यावरणीय संधारणीयता का आकलन करने हेतु प्रमुख मानकों में संसाधन की खपत में दक्षता, भूमि पर पड़ने वाले प्रभाव, प्रदूषण में कमी और साथ ही खनन का कार्य पूरा होने के बाद खदानों को बंद करना और भूमि पुनर्ग्रहण आदि शामिल हैं।
- बहु-हितधारक दृष्टिकोण: खनन परियोजना के लिये सामाजिक-आर्थिक मूल्यांकन रिपोर्ट को एक खनन उद्यम को अनुदान और खनिज रियायत की अनुमति देने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिये।
- अपर्याप्त क्षमता, राजनीतिक हेरफेर और भ्रष्टाचार की समस्या से बचने के लिये सरकारी और अर्द्ध-सरकारी एजेंसियों के बजाय खनन उद्यमों (Mining enterprises) को स्थानीय सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यों को निष्पादित करना चाहिये।

निष्कर्ष:

चूँकि खनिज लोगों और भविष्य की पीढ़ियों के हित में सुरक्षित रखी गई साझा विरासत है, ऐसे में यह बहुत ही आवश्यक है कि एक राष्ट्र के तौर पर हमें खनिजों को "अप्रत्याशित राजस्व" के एक स्रोत की बजाय "साझा विरासत" के रूप में देखने के लिये अपने परिप्रेक्ष्य में बदलाव लाना होगा।

भारत में पर्यटन क्षेत्र

संदर्भ:

COVID-19 महामारी के प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ठहराव की स्थिति में उत्पन्न हो गई है। इस महामारी का सबसे नकारात्मक प्रभाव पर्यटन और आतिथ्य उद्योग पर देखने को मिला, जिसे लॉकडाउन तथा सोशल डिस्टेंसिंग का सीधा नुकसान झेलना पड़ा। 'संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन' (UN World Tourism Organization- UNWTO) के अनुसार, वर्ष 1950 (जबसे UNWTO ने रिकार्ड रखना शुरू किया) के बाद अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन उद्योग के समक्ष यह सबसे बड़ा संकट है।

नोट :

वर्तमान में जब भारत सहित विश्व के कई देशों में COVID-19 के लिये टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके साथ ही दैनिक गतिविधियों के पुन: सामान्य रूप से शुरू होने की उम्मीदें भी बढ़ी हैं। ऐसे में भारत को पूरी सक्रियता के साथ पर्यटन क्षेत्र को समर्थन प्रदान करने का प्रयास करना चाहिये, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की भागीदारी लगभग 10% है और यह क्षेत्र वैश्विक स्तर पर भारत के सबसे बड़े सांस्कृतिक प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है।

इसके अतिरिक्त भारत को इस क्षेत्र में अंतर्निहित प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त प्राप्त है क्योंकि यह उपयुक्त पर्यटन उत्पादों- परिभ्रमण, एडवेंचर, चिकित्सा, कल्याण, खेल, पर्यावरण-पर्यटन, फिल्म, ग्रामीण और धार्मिक पर्यटन जैसे विविध पोर्टफोलियो प्रदान करता है। यह प्रतिस्पर्द्धी बढ़त भारत को विश्व में एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बनने में सहायता करेगी।

पर्यटन क्षेत्र की चुनौतियाँ:

- अवसंरचना और कनेक्टिविटी: बुनियादी ढाँचे का अभाव और अपर्याप्त कनेक्टिविटी कई विरासत स्थलों के लिये पर्यटकों की यात्रा में एक बड़ी बाधा बनती है।
- इसके अतिरिक्त भारत में पर्यटन स्थलों की कमी नहीं है परंतु उन्हें एक-दूसरे से जोड़ने के लिये व्यवस्थित अवसंरचनाएँ सीमित है (जैसे: दिल्ली-आगरा-जयपुर स्वर्णिम त्रिभुज)।
- प्रचार और मार्केटिंग: हालाँकि पर्यटन क्षेत्र के प्रचार में वृद्धि देखने को मिली है परंतु इसकी ऑनलाइन मार्केटिंग/ब्रांडिंग अभी भी सीमित है और इस मुहिम में समन्वय की भारी कमी दिखाई देती है।
- पर्यटक सूचना केंद्रों के प्रबंधन में बहुत ही शिथिलता देखने को मिलती है, जिससे स्थानीय/घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिये आसानी से कोई जानकारी प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
- कौशल की कमी: पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों की पर्याप्त संख्या में कमी आगंतुकों को विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक बड़ी बाधा के रूप में उभर कर सामने आती है।
- प्रशिक्षित बहुभाषी गाइड्स की सीमित संख्या, स्थानीय जागरूकता तथा पर्यटकों की संख्या में वृद्धि से जुड़े लाभ और उत्तरदायित्त्वों की सीमित समझ आदि पर्यटन क्षेत्र के विकास में एक बड़ी बाधा के रूप में काम करते हैं।
- पर्यटन क्षमता का सीमित प्रयोग: विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum- WEF) की 'यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्द्धा सूचकांक (Travel and Tourism Competitiveness Index- TTCR) रिपोर्ट, 2019' में शामिल कुल 140 देशों में भारत को 'सांस्कृतिक संसाधन और व्यावसायिक यात्रा' में 8वाँ स्थान, प्रतिस्पर्द्धा में 13वाँ और प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणी में 14वाँ स्थान प्राप्त हुआ।
- विभिन्न श्रेणियों में इस उन्नत प्रदर्शन के बावजूद भारत की समग्र पर्यटन प्रतिस्पर्द्धा 34वीं रैंकिंग है, जो यह बताता है कि भारत द्वारा अपनी विरासत में मौजूद बहुमूल्य संपदा का पूरी क्षमता के अनुरूप उपयोग नहीं किया गया है, जैसा कि अन्य देशों द्वारा किया जाता है।

आगे की राह:

- 'वन इंडिया वन टूरिज़्म' का दृष्टिकोण: पर्यटन क्षेत्र का विस्तार कई मंत्रालयों तक होता है, यह एक राज्य के भीतर होने के साथ-साथ कई राज्यों में फैला है।
- ऐसे में राष्ट्रीय पर्यटन परिषद जैसे एक सशक्त विधायी निकाय का होना बहुत ही आवश्यक है जो केंद्र-राज्य स्तर पर पर्यटन मामलों को तेज़ी से निपटाने की प्रणाली को सक्षम बनाने के साथ 'वन इंडिया वन टूरिज़्म' दृष्टिकोण सुनिश्चित करने में सहायक होगा।
- बुनियादी ढाँचे के रूप में पर्यटन क्षेत्र: पर्यटन अवसंरचना परियोजना, अर्थात् होटल, रिसॉर्ट, उपकरण, पार्क आदि जिनकी परियोजना लागत 1 करोड़ रुपए से अधिक है, को 'बुनियादी ढाँचे' के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिये, जिससे ऐसी परियोजनाओं के प्रायोजकों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।
- कौशल विकास: पर्यटन उद्योग की आपूर्ति शृंखला में शामिल होने के लिये छोटे उद्यमों की स्थापना को प्रोत्साहित कर स्थानीय समुदायों को पर्यटन से जोड़ने की आवश्यकता है।
- संगठित क्षेत्र में निवेशकों और ऑपरेटरों को स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिये प्रोत्साहित करते हुए रोज़गार के अवसरों में वृद्धि की जा सकती है।

नोट :

- विरासत स्थलों का संरक्षण: सभी विरासत स्थलों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिये और इस विकास को सरकारी धन के माध्यम से या गैर-सरकारी संगठनों/कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों के माध्यम से पूरा किया जाना चाहिये।
- केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थयात्रा कायाकल्प तथा आध्यात्मिक संवर्द्धन ड्राइव या प्रसाद' (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual Augmentation Drive-PRASAD) योजनाओं के तहत पहले से ही विरासत स्थलों की मरम्मत और विकास का कार्य किया जा रहा है।
- पर्यटन सुगमता को बढ़ावा देना: एक निर्बाध पर्यटन अनुभव सुनिश्चित करने के लिये हमें सभी अंतर्राज्यीय रोड टैक्स (Road Tax) के मानकीकरण के साथ उन्हें एक बिंदु पर देय बनाने के लिये उपयुक्त प्रणालीगत में सुधार की आवश्यकता है, जिससे पर्यटन सुगमता के साथ 'ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस' को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
- अतुल्य भारत 2.0: भारत में पर्यटन की विविधता को देखते हुए बौद्ध सर्किट, स्वदेश दर्शन या 'अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एडवेंचर टूरिज़्म' जैसे अद्वितीय पर्यटन विकल्पों को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाना और इनका प्रचार करना बहुत आवश्यक है।
- इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा अतुल्य भारत 2.0 अभियान की शुरुआत की जा सकती है, जिसके तहत 100 स्मार्ट और स्वच्छ पर्यटन गंतव्य स्थलों पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

निष्कर्ष

COVID-19 महामारी के प्रकोप के दौरान पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र पर इसका सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। हालाँकि COVID-19 संक्रमण के मामलों में गिरावट और वैक्सीन के वितरण की शुरुआत के साथ पर्यटन क्षेत्र में सुधार की उम्मीद जगी है। पर्यटन क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को देखते हुए यदि इसे योजनाओं और नीतिगत सुधारों के माध्यम से पर्याप्त समर्थन प्रदान किया जाता है तो यह विकास के पुन: प्रवर्तन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ विश्व में भारत की छवि को मज़बूत करने में सहायक हो सकता है।

भारत में महिला श्रम बल

संदर्भ:

भारत अभी भी महिलाओं को आर्थिक क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिये निरंतर संघर्ष कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2019 में COVID-19 महामारी से पहले भारत में महिला श्रम बल की भागीदारी 23.5% थी।

COVID-19 महामारी ने इस स्थिति को और अधिक खराब किया है। इस महामारी ने महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित किया है क्योंकि पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएँ असंगठित क्षेत्र या उन क्षेत्रों में कार्य करती हैं जिन पर इस महामारी का प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिला है या वे घर की प्राथमिक देखभाल के लिये उत्तरदायी हैं और इस महामारी ने उनके लिये उपलब्ध अवसरों को सीमित किया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को पुन: गति प्रदान करने के लिये सरकार और नागरिक दोनों के साझा मज़बूत प्रयास की आवश्यकता होगी, ऐसे में महिलाएँ इस आर्थिक सुधार में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। भारत में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी में बाधा बनने वाले और काफी समय से लंबित मुद्दों का समाधान किये जाने की आवश्यकता है।

महिला श्रम बल भागीदारी में प्रमुख बाधाएँ:

- सामाजिक रूढ़िवादिता: भारत में प्रचलित सामाजिक मानदंडों के तहत महिलाओं से परिवार और बच्चों की देखभाल की ज़िम्मेदारी लेने की अपेक्षा की जाती है। यह रुढ़िवादिता महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी में वृद्धि करने के मार्ग में एक प्रमुख बाधा है।
- इसके कारण महिलाएँ कार्य के लिये समय निकाल पाने हेतु लगातार संघर्ष करती रहती हैं।
- डिजिटल डिवाइड: वर्ष 2019 में भारत के कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में 67% पुरुष और मात्र 33% महिलाएँ थीं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर और भी अधिक है।
- यह विभाजन महिलाओं की प्रगति के लिये आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं तक पहुँचने अथवा उन गतिविधियों या क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने में बाधा बन सकता है, जो तेज़ी से डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं।
- तकनीकी व्यवधान: वर्तमान में महिलाएँ जिन अधिकांश प्रशासनिक और डेटा-प्रोसेसिंग भूमिकाओं पर कार्यरत हैं, उन नौकरियों के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ऑटोमेशन जैसी अन्य कई प्रौद्योगिकियों के आने से खतरा उत्पन्न होने लगा है।

नोट :

- जैसे-जैसे नियमित नौकरियाँ स्वचालित होती जाती हैं, इसका एक प्रभाव महिलाओं पर दबाव की वृद्धि के रूप में देखने को मिलेगा और वे उच्च बेरोज़गारी दर का अनुभव/सामना करेंगी।
- लिंग आधारित डेटा का अभाव: वैश्विक स्तर पर लिंग आधारित डेटा का अभाव और श्रम बाज़ार के चलन से जुड़े डेटा की कमी के कारण इस क्षेत्र में हो रही प्रगति की निगरानी करना कठिन हो जाता है।
- भारत में भी लड़कियों (Girl Child) से संबंधित डेटा में व्यापक अंतराल उनके जीवन के व्यवस्थित अनुदैर्ध्य मूल्यांकन को बाधित करता है।
- COVID-19 का प्रभाव: ILO के अनुमान के अनुसार, COVID-19 महामारी के कारण वैश्विक महिला रोज़गार दर 19% ही रही है जो कि महिलाओं के लिये पुरुषों की तुलना में बेरोज़गारी के जोखिम को बढ़ाता है।
- कई अनुमानों के अनुसार, भारत में अगस्त 2019 की तुलना में अगस्त 2020 में पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं को रोज़गार मिलने की संभावना 9.5% कम थी।
- विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum- WEF) के वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक (जो महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में मौजूद अंतराल को मापता है) के अनुसार, इस वर्ष भारत 112वें स्थान पर पहुँच गया, क्योंकि लगभग 70 लाख महिलाओं को अपने नौकरी गँवानी पड़ी है।

आगे की राह:

'मैकेंज़ी ग्लोबल इंस्टीट्यूट' (McKinsey Global Institute) की एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि भारतीय अर्थव्यवस्था में महिलाएँ भी पुरुषों के स्तर पर सामान रूप से भाग लेती हैं, तो यह वर्ष 2025 तक देश की अनुमानित जीडीपी में 60% तक वृद्धि कर सकता है। इसे देखते हुए सभी स्तरों पर सरकारों, नागरिक समाज को लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त उपाय करने चाहिये।

- पूर्णकालिक बाल देखभाल: एक एकीकृत बाल विकास योजना कुछ सीमित सहायता प्रदान करती है, परंतु यह पूर्णकालिक बाल देखभाल समाधान नहीं है।
- हालाँकि 'स्व-नियोजित महिला संघ' (Self Employed Women's Association- SEWA) के "संगिनी केंद्र" पोषण, स्वास्थ्य और बच्चों की देखभाल सहित 0-5 वर्षीय बच्चों को पूरे दिन बाल देखभाल प्रदान करते हैं।
- अत: ऐसे केंद्रों को व्यापक रूप से विस्तारित किया जाना चाहिये।
- डिजिटल विभाजन को कम करना: इस चुनौती से निपटने के लिये सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना सबसे प्रभावी उपाय होगा।
- इस संबंध में किये जाने वाले प्रयासों के तहत फोन और कंप्यूटर की वहनीयता, महिला डिजिटल साक्षरता और इसकी सामाजिक पृष्ठभूमि, महिलाओं तथा लड़कियों के लिये समर्पित अपर्याप्त तकनीकी सामग्री आदि चुनौतियों को संबोधित करने की आवश्यकता होगी।
- फ्लेक्सिबल वर्किंग: COVID-19 महामारी के कारण दूरस्थ या 'वर्क फ्रॉम होम' मोड़ में कार्य करने के अनुभवों ने कॉर्पोरेट जगत को सिखाया है कि तकनीकों के माध्यम से सभी के लिये निर्बाध कार्य-जीवन एकीकरण संभव है।
- वर्तमान में भारतीय कंपनियों द्वारा मातृत्व अवकाश, अनिवार्य पितृत्व अवकाश जैसे प्रयासों के माध्यम से कार्यक्षेत्रों में विविधता और समावेशन में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है परंतु महिलाओं के लिये कार्य करने के विकल्प तथा कार्य के अधिकार के लक्ष्य की पूर्ति कंपनियों द्वारा फ्लेक्सिबल वर्किंग को जारी रखने पर भी निर्भर करेगी।
- आर्थिक प्रोत्साहन: भारत में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में एक ही कार्य के लिये कम वेतन प्राप्त होता है, ऐसे में महिलाओं के लिये आय कर (Income Tax) को कम करते हुए उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करना: हालाँकि वर्तमान में महिलाओं के लिये रोज़गार के अवसर विकसित करना एक तात्कालिक ज़रूरत है। परंतु अधिक-से-अधिक महिलाओं को उद्यमी बनने के लिये प्रोत्साहित करना दीर्घकालिक समाधान प्रदान करेगा।
- रोज़गार के अवसरों का निर्माण, नवाचार को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य तथा शिक्षा में निवेश एवं महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देकर भारत की अर्थव्यवस्था व समाज को बदला जा सकता है।

नोट :

- लैंगिक सांख्यिकी को प्राथमिकता देना: 'यू.एन. वीमेन' (UN Women) द्वारा वर्ष 2016 में 'मेकिंग एवरी वुमन एंड गर्ल काउंट' (Making Every Woman and Girl Count) नामक एक पहल की शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य लैंगिक डेटा को प्राथमिकता देने में सहयोग करना, गुणवत्ता और तुलनात्मक लैंगिक आँकड़ों का नियमित प्रकाशन सुनिश्चित करना तथा यह भी सुनिश्चित करना कि यह डेटा सुलभ हो एवं और नीतियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाए।
- वर्तमान में भारत में भी इस तरह की पहल को लागू करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष:

विश्व बैंक (World Bank) के अनुसार, 'यदि किसी देश की आधी आबादी गैर-पारिश्रमिक, कम उत्पादक और गैर-आर्थिक गतिविधियों तक सीमित हो तो ऐसे स्थिति में कोई भी देश न तो विकसित हो सकता है और न ही अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकता है।'

ऐसे में एक ऐसा देश जहाँ शिक्षा के मामले में महिलाएँ पुरुषों के बराबर हैं, वहाँ अर्थव्यवस्था में आधी अबादी के सामान रूप से भाग न लेने के तथ्य को नज़रअंदाज़ करने का अर्थ होगा कि हम नवाचार, उद्यमशीलता और उत्पादकता लाभ के मामले में बहुत कुछ खो रहे हैं।

COVID-19 महामारी और डिजिटल शिक्षा

संदर्भ:

COVID-19 महामारी ने बच्चों के दैनिक जीवन को बाधित कर दिया है, इस महामारी के कारण सभी शिक्षण संस्थानों और परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है तथा इसके कारण बहुत से बच्चे शिक्षा तंत्र से बाहर हो गए हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो यह सुनिश्चित करने के लिये स्कूलों द्वारा पढ़ाई को ऑनलाइन मोड पर स्थानांतरित कर दिया गया।

वर्तमान में जब इस महामारी ने पठन-पाठन की प्रक्रिया को ऑनलाइन मोड में ले जाने के लिये विवश किया है, ऐसे में शिक्षा क्षेत्र को एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ कई छात्र अपना अधिकांश समय मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिताते हैं, वहीं कई अन्य इंटरनेट या स्मार्टफोन जैसे उपकरणों की अनुपलब्धता या इससे जुड़ी अन्य चुनौतियों के कारण पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं।

हालाँकि वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (National Sample Survey) के आँकड़ों के अनुसार, देश के मात्र 15% ग्रामीण घरों में इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध थी, जबकि शहरी घरों के मामले में यह दर 42% थी। अत: ई-लर्निंग प्रणाली की तरफ हुए इस बदलाव ने एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या इस बदलाव से छात्रों को सीखने में मदद मिली है या इससे उनके विकास, सामाजिक और भावनात्मक कल्याण में बाधा उत्पन्न हुई है तथा इससे भी महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह नया माध्यम वास्तव में शिक्षा के सभी आयामों की पूर्ति करता है या नहीं।

डिजिटल शिक्षा:

- डिजिटल शिक्षा, पठन-पाठन के दौरान डिजिटल उपकरणों तथा प्रौद्योगिकियों का अभिनव उपयोग है, इसे अक्सर 'प्रौद्योगिकी संवर्द्धित लर्निंग' (TEL) या ई-लर्निंग के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।
- डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग शिक्षकों को उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में सीखने की प्रक्रिया को अधिक आकर्षक बनाने का अवसर प्रदान करता है और यह मिश्रित या पूरी तरह से ऑनलाइन पाठ्यक्रमों व कार्यक्रमों का रूप ले सकता है।

ई-लर्निंग के सुचारु संचालन हेतु सरकारी पहल:

- भारत में ऑनलाइन शिक्षा को सक्षम करने के लिये कई पहलों की शुरुआत की गई है, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:
- ई-पीजी पाठशाला: यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय (पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की एक पहल है जिसका उद्देश्य अध्ययन के लिये ई-सामग्री प्रदान करना है।
- स्वयं (SWAYAM): यह ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिये एक एकीकृत मंच प्रदान करता है।
- प्रौद्योगिकी के लिये राष्ट्रीय शैक्षिक गठबंधन (NEAT): इस योजना का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) की सहायता से छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप सीखने की प्रक्रिया की अधिक अनुकूलित प्रणाली को विकसित करना है।
- अन्य पहलों में शामिल हैं-'नेशनल प्रोजेक्ट ऑन टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट लर्निंग' (NPTEL), 'नेशनल नॉलेज नेटवर्क' (NKN) और 'नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी' (NAD) आदि।

नोट :

- प्रज्ञाता (PRAGYATA): केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय) द्वारा देश में डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञाता (PRAGYATA) शीर्षक के साथ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गए।
- प्रज्ञाता दिशा-निर्देश के अनुसार, नर्सरी और प्री-स्कूल स्तर पर माता-पिता के साथ बातचीत करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिये तय समय 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिये।
- साथ ही स्कूलों के लिये कक्षा 1-8 के लिये प्रतिदिन अधिकतम 1.5 घंटे और कक्षा 9-12 के लिये प्रतिदिन अधिकतम 3 घंटे ऑनलाइन कक्षाओं की सीमा निर्धारित की गई है।

नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस्ड लर्निंग (NPTEL):

- NPTEL केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है, जिसे देश के सात 'भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों' (IIT) द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलूरू के साथ मिलकर शुरू किया गया है।
- इसे वर्ष 2003 में ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिये बनाया गया था।
- इसका उद्देश्य इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्र में वेब और वीडियो पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना है।

एक रक्षक के रूप में प्रौद्योगिकी:

- लचीलापन: ऑनलाइन शिक्षा, छात्र और शिक्षक दोनों को सीखने की गति निर्धारित करने में सक्षम बनाती है, साथ ही यह सभी की दिनचर्या में समन्वय के अनुरूप पढ़ने का समय निर्धारित करने की सुविधा प्रदान करती है।
- पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला: इंटरनेट की विशाल और विस्तृत दुनिया में अनंत कौशल एवं विषय सिखाने तथा सीखने का अवसर उपलब्ध होता है।
- हाल में ऐसे विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा से जुड़े स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है जो विभिन्न स्तरों तथा विषयों के लिये अपने कार्यक्रमों को ऑनलाइन माध्यम पर प्रस्तुत कर रहे हैं।
- पारंपरिक शिक्षा की तुलना में लागत प्रभावी: ऑनलाइन शिक्षा के लिये अपेक्षाकृत कम मौद्रिक निवेश की आवश्यकता होती है और इसके बेहतर परिणाम भी देखे गए हैं।
- ऑनलाइन मोड की शिक्षा में अध्ययन सामग्री के साथ परिवहन आदि पर खर्च किया गया शुल्क काफी कम होता है।
- सुविधापूर्ण परिवेश: ऑनलाइन शिक्षण छात्रों को अपनी इच्छा के अनुरूप उपयुक्त स्थान या परिवेश में पढ़ाई करने की अनुमति देता है।

ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियाँ और इससे संबंधित अन्य मुद्दे:

- एक स्वस्थ अध्ययन माहौल का अभाव: शिक्षा केवल कक्षाओं के संचालन तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य बातचीत, विचारों को व्यापक बनाने और मुक्त विचार-विमर्श आदि को बढ़ावा देना है।
- छात्र चुनौतीपूर्ण सामूहिक कार्यों और साथ मिलकर समस्याओं के समाधान के दौरान एक- दूसरे से अधिक सीखते हैं।
- ऑनलाइन शिक्षा के दौरान सीखने योग्य बहुत सी महत्त्वपूर्ण चीजें छूट जाती हैं।
- मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन को लंबे समय तक देखते रहने वे अपने मस्तिष्क का उपयोग अधिक स्वतंत्रतापूर्वक नहीं कर पाते हैं और न ही पढ़ाई जा रहे विषयों पर सटीक प्रतिक्रिया दे पाते हैं।
- प्रौद्योगिकी पहुँच का अभाव: यह अनिवार्य नहीं है कि हर छात्र जो स्कूल जाने का खर्च वहन कर सकता है, वह फोन, कंप्यूटर या यहाँ तक कि ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिये एक गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट कनेक्शन का भी खर्च उठा सकता है।
- इसके कारण छात्रों को मानसिक तनाव से गुज़रना पड़ता है और हाल में ऐसे मामलों में काफी वृद्धि देखी गई है।
- शिक्षा के अधिकार के साथ विरोधाभास: प्रौद्योगिकी सभी के लिये वहनीय नहीं होती है, ऐसे में पूरी तरह से ऑनलाइन शिक्षा की ओर स्थानांतरित होना, उन लोगों के शिक्षा के अधिकार को छीनने जैसा है जिनके पास उपयुक्त तकनीकी साधन नहीं हैं या जो इस लागत को वहन नहीं कर सकते हैं।
- अत: इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा के डिजिटलीकरण की बात करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी शिक्षा के अधिकार के विपरीत प्रतीत होती है।

नोट :

- स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे: युवा छात्रों (विशेष रूप से कक्षा 1 से 3) को लंबी अवधि तक कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन को घूरने के कारण आँखों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
- इसके अतिरिक्त छात्रों के बैठने की गलत मुद्रा या शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण उनमें गर्दन और पीठ में दर्द के साथ कई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के मामले देखे गए हैं।

आगे की राह:

- बहु-पक्षीय दृष्टिकोण:
- चरणबद्ध तरीके से वैकल्पिक दिनों में एक कक्षा के कुछ छात्रों (50% से अधिक नहीं) को स्कूल आने की अनुमति देकर छात्र-शिक्षक चर्चा को बढ़ावा देना।
- वंचित वर्ग और कम सुविधा वाले ऐसे छात्रों को प्राथमिकता देना, जिन तक ई-लर्निंग के लिये आवश्यक संसाधनों की पहुँच नहीं है या वे इसका खर्च वहन नहीं कर सकते हैं।
- प्रत्येक बच्चे के लिये मौलिक अधिकार के रूप में समान रूप से अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु वास्तविक प्रयासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- ऑनलाइन शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाना: लंबे, एकतरफा और नीरस संवाद की बजाय छोटे परंतु गुणवत्तापूर्ण विचार-विमर्श को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।
- शिक्षक की भूमिका कक्षा को नियंत्रित करने तक सीमित न रखते हुए ज्ञान के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में विस्तारित की जानी चाहिये।
- रचनात्मकता विकास पर ध्यान केंद्रित करना: शिक्षा किसी छात्र द्वारा एक पाठ्यक्रम विशेष में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने तक सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य छात्र को आवश्यक ज्ञानार्जन के साथ अपनी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाने का अवसर प्रदान करना है।
- ऐसे में शिक्षण प्रणाली के तहत गुणवत्तापूर्ण ज्ञानार्जन की परवाह किये बिना छात्रों और शिक्षकों पर केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने का दबाव नहीं बनाया जाना चाहिये, बल्कि इसके तहत मात्रा की बजाय गुणवत्ता पर विशेष ज़ोर दिया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

'अवसर की समानता' भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों में से एक है। समाज के सबसे ज़रूरतमंद लोगों के हितों की परवाह किये बगैर केवल एक वर्ग विशेष के लोगों के लाभ के लिये पूरी प्रणाली के स्थानांतरण का प्रयास संविधान के उक्त कथन की मूल धारणा को नष्ट कर देता है।

इसके अतिरिक्त डिजिटल शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारत को अभी अधिक सफलता नहीं प्राप्त हुई है। वर्तमान में इस क्षेत्र में यह सुनिश्चित करने हेतु बहुत अधिक कार्य किया जाना है कि छात्रों के लिये सार्थक शैक्षिक पाठ्यक्रम विकल्प और उनके अधिकारों से कोई समझौता न किया जा रहा हो।

शैडो उद्यमिता

संदर्भ:

हाल ही में एक बिज़नेस स्कूल के प्रोफेसर ने छात्रों को नकली प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिये कथित रूप से अपने पद का दुरुपयोग किया। यह ऐसे उन कई मामलों में से एक है जिसके तहत ऑनलाइन गतिविधियों से जुड़े एक व्यापक नियमाकीय तंत्र के अभाव के कारण विश्व भर के लोगों को ठगी का सामना करना पड़ता है।

उपरोक्त मामला वैश्विक स्तर पर शैडो उद्यमिता (Shadow Entrepreneurship) के उदय से जुड़े दुष्प्रभावों को रेखांकित करता है। शैडो उद्यमी एक ऐसे व्यवसाय का संचालन करते हैं जो वैध वस्तुएँ और सेवाएँ तो उपलब्ध कराते हैं परंतु उनके द्वारा ऐसे व्यवसायों को पंजीकृत नहीं किया जाता है। शैडो उद्यमिता आर्थिक विकास को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक है।

नोट :

इसके अतिरिक्त विश्व भर में सबसे अधिक शैडो उद्यमी भारत में ही हैं और भारत में गिग इकॉनमी (Gig Economy) की वृद्धि को देखते हुए शैडो उद्यमिता को समझना बहुत ही महत्त्वपूर्ण हो गया है।

शैडो उद्यमिता का सकारात्मक पक्ष:

- रोज़गार के अवसरों का विकास: वर्तमान में भारत का विनिर्माण क्षेत्र युवाओं को मांग के अनुरूप पर्याप्त औपचारिक रोज़गार के अवसर प्रदान करने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त भारत में शिक्षा और रोज़गार से जुड़े कौशल की मांग में भारी अंतर दिखाई देता है।
- इस संदर्भ में शैडो उद्यमिता को रोज़गार में वृद्धि और आर्थिक विकास के संभावित उत्प्रेरक के रूप में देखा जाता है।
- मार्केट गैप को कम करना: शैडो उद्यमी बाज़ार से जुड़ी विकृतियों और चुनौतियों को कम करने में मदद कर सकते हैं।
- वे ऐसी पूरक सेवाएँ दे सकते हैं जो पारंपरिक सेवा प्रदाता नहीं उपलब्ध करा सकते या उपभोक्ताओं तक वर्तमान में ऐसे उत्पादों या सेवाओं की पहुँच नहीं है।
- सामाजिक सेवाओं का संवर्द्धन: शैडो उद्यमिता सरकारी योजनाओं के कल्याणकारी समर्थन को बढ़ा सकती है क्योंकि वह पहुँच, उपलब्धता या वहनीयता से जुड़े मुद्दों को संबोधित कर सकती है।

शैडो उद्यमिता की चुनौतियाँ व इससे जुड़े अन्य मुद्दे:

- अनौपचारिक श्रम का विस्तार: चूँकि शैडो उद्यमिता काफी हद तक अनियमित है, ऐसे में इस क्षेत्र से जुड़े कर्मचारियों को बहुत ही सीमित लाभ (जैसे-रोज़गार सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, बीमा इत्यादि) मिल पाता है।
- ऐसे में यह भारत के अनौपचारिक श्रम क्षेत्र का ही एक विस्तार है, जो भारत में लंबे समय से प्रचलित है और इस क्षेत्र में बड़े पैमाने किसी विनियमन का अभाव रहा है।
- आर्थिक वृद्धि में बाधा: शैडो उद्यमिता के परिणामस्वरूप कर राजस्व (Tax Revenue) की हानि, पंजीकृत व्यवसायों के लिये अनुचित प्रतिस्पर्द्धा और खराब उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है। गौरतलब है कि ये कुछ ऐसे कारक हैं जो आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- चूँकि शैडो उद्यमिता से जुड़े व्यवसाय पंजीकृत नहीं होते हैं, जो उन्हें कानून की पहुँच से परे ले जाता है और यह शैडो अर्थव्यवस्था उद्यमियों को भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों के प्रति संवेदनशील बनाती है।
- राष्ट्रीय सुरक्षा: शैडो उद्यमिता का विनियमन न होना सीमा पार और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का एक प्रमुख कारक बन सकता है। उदाहरण के लिये हाल में कुछ चीनी कंपनियों द्वारा भारत में ऑनलाइन तात्कालिक ऋण वितरण के संदिग्ध मामले देखने को मिले थे।
- घोटालो में वृद्धि: शैडो उद्यमिता से जुड़े व्यक्ति जो औपचारिक रूप से पंजीकृत न होकर एक पूरक सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं, संभावित रूप से इस महामारी के कारण उत्पन्न हुई बाज़ार की बाधाओं का लाभ उठाते हुए दस्तावेज़ जालसाज़ी जैसे माध्यमों द्वारा उपभोक्ताओं से धन उगाही का प्रयास किया जा सकता है।

आगे की राह:

- औपचारिकरण: किसी देश में अनौपचारिक क्षेत्र की उद्यमिता, गरीबी और असमानता से जुड़े सुधार उस देश के आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों की नीतियों पर निर्भर करती है।
- ऐसे में सरकार की नीतियाँ शैडो अर्थव्यवस्था से जुड़े उद्यमियों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में स्थांतरित होने के लिये अतिरिक्त समर्थन प्रदान करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है।
- इसके अतिरिक्त उचित आर्थिक और राजनीतिक ढाँचे की स्थापना लोगों को 'औपचारिक' उद्यमी बनने और अपने व्यवसायों को पंजीकृत करने लिये प्रेरित कर सकती है।
- सामंजस्य: साथ ही सरकारों के विभिन्न विभागों के बीच गतिविधियों के संबद्ध सामंजस्य को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है (भारत के संदर्भ में शैडो उद्यमिता के विनियमन हेतु कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय और स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा या वित्त मामलों से जुड़े सरकारी विभागों के बीच सामंजस्य।)

नोट :

- विधि निर्माण: भारत में शैडो उद्यमिता की व्यापकता को देखते हुए इसे कम समय में औपचारिक रूप देना संभव नहीं होगा। ऐसे में वर्तमान में ऐसे कानूनी सुधार की आवश्यकता है जो शैडो उद्यमिता को विनियमित करने के साथ इससे जुड़े लोगों को सामाजिक सुरक्षा लाभ भी प्रदान करता हो।
- इस संदर्भ में हालिया सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक, 2020 एक सकारात्मक कदम है, इस विधेयक के माध्यम से पहली बार प्लेटफॉर्म वर्कर्स और गिग वर्कर्स को रोज़गार की नई श्रेणियों के रूप में स्वीकार किया गया है।

निष्कर्ष:

शैडो उद्यमिता भले ही बेरोज़गारी संकट तथा बाज़ार की रिक्तता आदि जैसी समस्याओं से तात्कालिक और अस्थायी रूप से निपटने में सफल हो सकती है परंतु विकासशील देशों हेतु सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण की निगरानी की ज़रूरत को देखते हुए एक व्यवस्थित विनियमन तंत्र के अभाव की यह स्थिति किसी भी समय अनियंत्रित हो सकती है।

डिजिटल सेवा कर

संदर्भ:

हाल ही में संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (United States Trade Representative- USTR) द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा लागू किया गया 2% डिजिटल सेवा कर (Digital Services Tax) अमेरिकी व्यवसायों के साथ भेदभाव करता है और यह व्यवस्थित अंतर्राष्ट्रीय कर कानून के सिद्धांतों की अवहेलना करता है।

डिजिटल सेवा कर का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अनिवासी (Non-resident) डिजिटल सेवा प्रदाता भारतीय डिजिटल बाज़ार में अर्जित राजस्व का उचित कर अदा करें। भारत सरकार द्वारा लाया गया 2% डिजिटल सेवा कर ऐसे राजस्व पर लागू होगा जिसे अनिवासी डिजिटल सेवा प्रदाताओं द्वारा भारत में दी जाने वाली डिजिटल सेवाओं के माध्यम से अर्जित किया गया है, इन सेवाओं में डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवाएँ, डिजिटल कंटेंट की बिक्री और डेटा से संबंधित सेवाएँ आदि शामिल हैं।

वर्तमान में जब डिजिटल अर्थव्यवस्था अपने आप में अर्थव्यवस्था का एक अलग क्षेत्र बनती जा रही है, ऐसे में अमेरिका (जहाँ से अधिकांश डिजिटल सेवा प्रदाता आते हैं) जैसे विकसित देशों को यह समझना होगा कि कर संरक्षण या इससे जुड़े अन्य मुद्दों के लिये डिजिटल अर्थव्यवस्था को शेष अर्थव्यवस्था से अलग रख पाना कठिन होगा।

नोट:

- भारत, वर्ष 2016 में समानता शुल्क (इक्विलाइज़ेशन लेवी) लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना, परंतु यह लेवी ऑनलाइन विज्ञापन सेवा तक ही सीमित थी। (आमतौर पर इसे "डिजिटल विज्ञापन कर" या "डीएटी" के रूप में जाना जाता है।)
- मार्च 2020 में सरकार ने इसके दायरे को बढ़ाते हुए कई डिजिटल सेवाओं (जिसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेवाएँ भी हैं) को भी इसमें शामिल कर दिया। इसके तहत अब एक भारतीय उपयोगकर्त्ता द्वारा किसी अनिवासी कंपनी को किये गए भुगतान पर 2% लेवी लागू होगी।

USTR द्वारा जताई गई चिंताएँ और प्रतिवाद:

- USTR द्वारा 'यूएस ट्रेड एक्ट, 1974' (US Trade Act, 1974) की धारा 301 के तहत एक जाँच की गई, गौरतलब है कि 'यूएस ट्रेड एक्ट का यह प्रावधान USTR को किसी भी अन्य देश की ऐसी कार्रवाई पर उचित प्रतिक्रिया देने के लिये अधिकृत करता है जो भेदभावपूर्ण है और अमेरिकी वाणिज्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

USTR की रिपोर्ट में डीएसटी को दो मामलों में भेदभावपूर्ण पाया गया:

- पहला, DST अमेरिकी व्यवसायों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है क्योंकि विशेष रूप से भारत के घरेलू डिजिटल व्यवसायों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है।
- दूसरा, इस रिपोर्ट के अनुसार, DST गैर-डिजिटल सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जा रही समान सेवाओं तक विस्तारित नहीं है।
- हालाँकि भारत ने स्पष्ट किया कि DST किसी भी तरह से एक व्यवसाय के परिचालन के आकार या राष्ट्रीयता के आधार पर भेदभाव नहीं करता है।

नोट :

- हालाँकि यह प्रतीत होता है कि DST मुख्य रूप से अमेरिकी कंपनियों पर लागू है परंतु ऐसा इसलिये है क्योंकि भारतीय डिजिटल बाज़ार में अमेरिकी मूल की कंपनियों का ही प्रभुत्व रहा है।
- इसके अतिरिक्त भारत में स्थायी निवास वाली किसी भी कंपनी को इसके दायरे से बाहर इसलिये रखा गया है क्योंकि ऐसी कंपनियाँ पहले से ही भारत के स्थानीय कर कानूनों के अधीन हैं।

DST का औचित्य:

- अंतर्राष्ट्रीय कर कानून पर लंबित वार्ता: डिजिटल कंपनियों की आर्थिक गतिविधियों पर कर लागू करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय कर कानून में सुधार के एजेंडे को औपचारिक रूप से आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (Economic Co-operation and Development-OECD) के आधार क्षरण और लाभ स्थानांतरण कार्यक्रम (Base Erosion and Profit Shifting- BEPS) के अंदर तैयार किया गया था।
- हालाँकि इसकी शुरुआत के सात वर्ष बाद भी वर्तमान में इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।
- इस विलंब के कारण कई देशों को भय है कि उन्हें कर लागू करने के अपने अधिकार को खोना पड़ सकता है। अत: कई देशों ने या तो डिजिटल सेवा कर लागू कर दिया है या उन्होंने इससे जुड़े कानूनी बदलाव प्रस्तावित किये हैं।

नोट:

- BEPS का तात्पर्य ऐसी कर परिवर्जन रणनीतियों से है जिनके तहत कंपनियाँ कर नियमों में अंतर और विसंगतियों का लाभ उठाकर अपने लाभ को किसी ऐसे स्थान या क्षेत्र में हस्तांतरित कर देती हंन जहाँ या तो टैक्स होता ही नहीं और यदि होता भी है तो बहुत कम अथवा नाम-मात्र होता है।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में बदलाव:

- डिजिटल सेवा करों (DST) का प्रसार अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में हो रहे बदलाव की ओर संकेत करता है।
- भारत जैसे देश जो डिजिटल निगमों के लिये एक बड़ा बाज़ार प्रदान करते हैं, इन निगमों की आय पर कर लागू करने हेतु व्यापक अधिकार की अपेक्षा करते हैं।
- असमान डिजिटल शक्ति: डिजिटल अर्थव्यवस्था का कराधान अपेक्षाकृत जटिल और विवादास्पद मुद्दा बन गया, क्योंकि वर्तमान में डिजिटल सेवा प्रदाताओं तथा उपभोक्ताओं में भारी विषमता है।
- इसके अलावा कर अधिकारों का पुनर्वितरण भारत और अमेरिका जैसे देशों के राजस्व पर व्यापक प्रभाव डाल सकता है। यह एक सर्वसम्मति आधारित समाधान को प्राप्त करना कठिन बनाता है।
- ऐसे में देशों का दावा है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था की उतरोत्तर वृद्धि और पारंपरिक अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण को देखते हुए नए कर नियमों को अपनाना आवश्यक हो गया है।

डीएसटी से जुड़ी चिंताएँ:

- डिजिटल उपभोक्ताओं के भार में वृद्धि: विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनियों द्वारा DST का भार उपभोक्ताओं को स्थानांतरित किया जा सकता है। हालाँकि भारतीय ग्राहकों को इसे कर के रूप में भुगतान नहीं करना होगा, परंतु इसके कारण उन्हें सेवाओं के लिये अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। जो इस कर को लागू करने के उद्देश्य के विपरीत कंपनियों से उचित कर वसूल करने की बजाय ग्राहकों की चुनौतियों को बढ़ा सकता है।
- प्रतिकारी टैरिफ: USTR की जाँच से प्रतिशोधी शुल्कों का खतरा पैदा हो सकता है, गौरतलब है कि ऐसा ही एक टैरिफ अमेरिका द्वारा फ्राँस पर लागू किया गया था।
- इसके अतिरिक्त यह डिजिटल व्यापार युद्ध जैसे परिदृश्य में बदल सकता है और भारत के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उद्योग को क्षति पहुँचा सकता है।
- दोहरा कराधान: सरकार के इस निर्णय को कई देशों द्वारा एकतरफा कदम बताया गया और इसकी कड़ी आलोचना की गई। उनके अनुसार यह कदम दोहरे कराधान को बढ़ावा दे सकता है।

नोट :

आगे की राह:

- डिजिटल कराधान का नया मॉडल: अंतर्राष्ट्रीय कर सुधार द्वारा जिस मुख्य समस्या को हल करने का प्रयास किया जा रहा है, वह यह है कि डिजिटल निगम पारंपरिक निगमों के विपरीत भौतिक रूप से उपस्थिति के बिना एक बाज़ार में कार्य कर सकते हैं।
- इसलिये एक विशेष क्षेत्राधिकार में कर लागू करना डिजिटल अर्थव्यवस्था में वृद्धि के साथ अच्छी तरह से समन्वय नहीं बनाए रख सकता।
- इस चुनौती से निपटने के लिये देशों का सुझाव है कि कर लागू करने के एक नए आधार (जैसे-किसी देश में उपयोगकर्त्ताओं की संख्या) का निर्धारण कुछ सीमा तक इस चुनौती को संबोधित कर सकता है।
- यूरोपीय संघ और भारत इस दृष्टिकोण को अपनाने के समर्थकों में शामिल थे।
- बहुपक्षीय समझौता वार्ताओं को आगे बढ़ाना: वर्तमान में जब डिजिटल अर्थव्यवस्था और इसके प्रभावों का विकास जारी है, ऐसे में OECD के स्तर पर बहुपक्षीय समाधान में तेज़ी लाई जानी चाहिये।
- इसके अतिरिक्त इसे कई मुद्दों पर राजनीतिक सहमति की भी आवश्यकता होगी, जिसमें मध्यस्थता के लिये एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया की स्थापना जैसे संवेदनशील मामले भी शामिल हैं।

निष्कर्ष:

वर्तमान में जब विश्व के अधिकांश देश कर (TAX) पर संप्रभुता की बढ़ती मांग के लिये अपनी प्रतिक्रियाओं को समन्वित करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में डिजिटल सेवा कर (DST), वैश्विक कर संधियों के बाहर एक अंतरिम विकल्प प्रदान करता है। यह वर्तमान कर सीमा के दायरे से बाहर की आय पर कर लागू करने के लाभ के साथ डिजिटल कर की चुनौती को हल करने हेतु वार्ताओं के लिये एक आधार प्रदान करता है।

बढ़ती असमानताएँ

संदर्भ:

वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था COVID-19 महामारी की तबाही से धीरे-धीरे उबर रही है। हालाँकि विश्व के अलग-अलग देशों और देशों के विभिन्न हिस्सों द्वारा इस चुनौती से उबरने की प्रक्रिया में भारी असमानता देखने को मिली है। COVID-19 महामारी के बाद विश्व के अधिकांश देशों में आर्थिक असमानता में तीव्र वृद्धि देखी गई है।

इस तथ्य को ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट के आधार पर समझा जा सकता है। जिसके अनुसार, विश्व के शीर्ष 1,000 सबसे धनी लोग COVID-19 महामारी के कारण हुई आर्थिक क्षति से सिर्फ 9 माह में उबरने में सफल रहे हैं, जबकि विश्व की सबसे गरीब आबादी को इस महामारी के दुष्प्रभाव से उबरने और पूर्व COVID-19 स्थिति को प्राप्त करने में एक दशक का समय लग सकता है।

इस संदर्भ में विश्व आर्थिक मंच ने 'द ग्रेट रीसेट ऑफ कैपिटलिज़्म' (The Great Reset of Capitalism) नामक एक पहल का प्रस्ताव रखा है। WEF के अनुसार, यह अधिक निष्पक्ष, स्थायी और लचीले भविष्य के लिये हमारी आर्थिक तथा सामाजिक प्रणाली की नींव को संयुक्त और तात्कालिक रूप से स्थापित करने की प्रतिबद्धता है।

पूर्व में भी इस प्रकार के आदर्श वाक्य जारी किये गए थे, हालाँकि यह नव-उदारवादी आर्थिक व्यवस्था का जोखिम है जो विश्व भर में असमानताओं को बढ़ा रहा है।

नोट:

- वर्तमान विश्व आर्थिक व्यवस्था को नव-पूंजीवाद या नव-उदारवाद कहा जा सकता है, जो बाज़ार की स्वतंत्रता, वैश्वीकरण, बौद्धिक संपदा अधिकारों, माल, सेवाओं, निवेश और विचारों की मुक्त आवाजाही पर केंद्रित है।

भारत में असमानता:

COVID-19 महामारी की शुरुआत के पहले से ही विश्व भर में असमानता चिंताजनक रूप से उच्च स्तर पर थी और यह असमानता सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था की अस्थिरता का एक प्रमुख कारक रही थी। विश्व भर में असमानता की व्यापकता में वृद्धि देखी गई है और भारत भी इस मामले में कोई अपवाद नहीं है।

नोट :

- ऑक्सफैम की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में असमानता बढ़कर उपनिवेश काल के स्तर के बराबर पहुँच गई है।
- मार्च 2020 में लॉकडाउन लागू होने के बाद से भारत के 100 अरबपतियों द्वारा अर्जित की गई अतिरिक्त संपत्ति देश के 138 मिलियन अपेक्षाकृत गरीब आबादी में से प्रत्येक को 94,045 रुपए देने के लिये पर्याप्त है।
- पिछले वर्ष भारत के सबसे अमीर व्यक्ति द्वारा मात्र एक सेकंड में अर्जित धन के बराबर कमाई करने में देश के एक अकुशल श्रमिक को तीन वर्ष लगेंगे।

असमानताओं के साथ संबंधित चिंताएँ:

असमानताओं का सामान्यीकरण: विश्व भर में कई प्रमुख अर्थशास्त्रियों द्वारा बढ़ती असमानताओं को आर्थिक विकास, जिससे संपूर्ण गरीबी में कमी आई है, के एक अपरिहार्य उपोत्पाद के रूप में सही ठहराने का प्रयास किया जाता है।

- इसके अतिरिक्त असमानता के बारे में उठाई जा रही चिंताओं को भी आसानी से समाजवाद प्रेरित विचारों के रूप में अस्वीकार किया जा सकता है, जिसे लोकतंत्र के लिये खतरा माना जाता है।
- इसके कारण पूंजी और श्रम के बीच धन का वितरण इतना अधिक एकतरफा हो गया है कि यह श्रमिकों को लगातार निर्धनता की ओर धकेलता जा रहा है, जबकि धनी लोगों की संपत्ति में लगातार वृद्धि हो रही है।
- इसके अतिरिक्त लिंग, जाति और अन्य कारकों के आधार पर होने वाले भेदभाव के कारण आय और अवसरों के मामलों में बढ़ती असमानता कुछ वर्गों को असमान रूप से प्रभावित करती है।

एकाधिकार का निर्माण:

- बाज़ार प्रतिस्पर्द्धा के प्रति अपनी कथित प्रतिबद्धता के बावजूद नव-उदारवाद के आर्थिक एजेंडे ने प्रतिस्पर्द्धा की गिरावट और अर्थव्यवस्था के विशाल क्षेत्र (जैसे-फार्मास्यूटिकल्स, दूरसंचार, एयरलाइंस, कृषि, बैंकिंग, औद्योगिक, खुदरा आदि) में शक्ति के एकाधिकार को बढ़ावा दिया है।

अस्थायी आर्थिक विकास: वर्तमान में आर्थिक विकास के प्रमुख लक्षणों में से एक ऊर्जा उपयोग का तीव्रता से बढ़ना है।

- इन आर्थिक गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिये अधिकांश ऊर्जा गैर-नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त की जाती है।
- विकसित विश्व का प्राथमिक उद्देश्य विश्व भर के विभिन्न हिस्सों से ऊर्जा-उत्पादक संसाधनों की खोज करना और उनका उपयोग अपनी जीडीपी की वृद्धि को अधिक ऊँचाइयों पर पहुँचाने के लिये करना है।
- यह अस्थायी आर्थिक विकास मॉडल सतत् विकास की अवधारणा के खिलाफ है, क्योंकि यह वर्तमान पीढ़ी के कल्याण हेतु भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों की अनदेखी कर देता है।

आगे की राह:

- नॉर्डिक आर्थिक मॉडल (Nordic Economic Model): धन के पुनर्वितरण को अधिक न्यायसंगत बनाने के लिये वर्तमान नव-उदारवादी मॉडल को 'नॉर्डिक आर्थिक मॉडल' द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है।
- नॉर्डिक आर्थिक मॉडल में सभी के लिये प्रभावी कल्याण सुरक्षा नेट, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा का मौलिक अधिकार, अमीरों के लिये उच्च कर इत्यादि शामिल हैं।
- पूंजीवाद का 4 पी मॉडल: केवल बयानबाज़ी के बजाय, नए पूंजीवाद मॉडल को 4P अर्थात् लाभ (Profit), लोग (People), ग्रह (Planet), प्रयोजन (Purpos)] पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये और यह सुनिश्चित करने का दायित्त्व सरकार का होना चाहिये कि कॉर्पोरेट द्वारा इस मॉडल का पालन किया जाए।

निष्कर्ष:

20वीं शताब्दी के विपरीत भारत वैश्विक पूंजीवाद के लिये नए नियमों के निर्धारण और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के पुनर्गठन में सक्रिय रूप से योगदान कर सकता है तथा भारत को इस दिशा में अवश्य ही कदम बढ़ाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त जैसे-जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था के समक्ष यह नया बदलाव (द ग्रेट रीसेट) खुलकर सामने आता है तो इसके साथ ही भारत को भी अपनी अर्थव्यवस्था और समाज में आवश्यक सुधार करना होगा ताकि इसे अधिक न्यायसंगत, टिकाऊ एवं तीव्र वाह्य परिवर्तनों का मुकाबला करने में सक्षम बनाया जा सके।

नोट :

समृद्ध प्रौद्योगिकी कंपनियों का एकाधिकार

संदर्भ:

वर्तमान में जब हमारे रहने और कार्य करने के तरीकों में इंटरनेट की केंद्रीय भूमिका मज़बूत होती जा रही है, ऐसे में कुछ बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने बाज़ार पर उल्लेखनीय रूप से अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ जिन्हें GAFA (गूगल, अमेज़ॅन, फेसबुक, एप्पल) के रूप में भी जाना जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख कंपनियाँ हैं। कई लोगों का अनुमान है कि वर्तमान में इन कंपनियों द्वारा बनाए गए डिजिटल वर्ल्ड इकोसिस्टम के बाहर रहना संभव नहीं है। वर्तमान में ये बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ ग्लोबल साउथ और विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में उपलब्ध संभावनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

हालाँकि इन बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के एकाधिकार संबंधी व्यवहार जैसे- शिथिल विनियमन, अनुचित प्रतिस्पर्द्धा, गोपनीयता आदि के संदर्भ में कई चिंताएँ भी बनी हुई हैं। अत: भविष्य में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की केंद्रीयता को देखते हुए एक व्यापक नियामक ढाँचे की स्थापना करना बहुत ही आवश्यक को गया है।

बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के एकाधिकार की प्रक्रिया:

- अनुचित प्रतिस्पर्द्धा (Unfair Competition): पिछले कुछ दशकों में नवाचारों और तकनीकी के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के कारण बहुत ही कम समय में अप्रत्याशित रूप से कई बड़े प्रौद्योगिकी दिग्गज उभरकर सामने आए हैं। अपनी इस शीर्ष स्थिति को बनाए रखने के लिये ये बड़ी कंपनियाँ प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी व्यवहार का सहारा ले सकती हैं। उदाहरण के लिये:
- ये कंपनियाँ अपने प्रतिस्पर्द्धी एप या कंपनियों के साथ इंटरकनेक्ट और इंटरऑपरेट करने से इनकार करते हुए उनके विकास के मार्ग में बाधाएँ खड़ी करने का प्रयास करती हैं।
- ये अपनी व्यापक पूंजी आधार का लाभ उठाते हुए सेवाओं के शुल्क निर्धारण में आक्रामक रवैया अपनाकर प्रतिस्पर्द्धा को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं।
- कुछ कंपनियों के लिये विशेष व्यवस्था और व्यावसायिक समूहन।
- गोपनीयता से जुड़ी चिंताएँ: बड़ी तकनीकी फर्मों की यह बाज़ार शक्ति लोगों के डेटा पर आधारित है, इन कंपनियों द्वारा लोगों के डेटा के अनैतिक संग्रह और प्रसंस्करण तथा उन पर कुछ विशेष उत्पादों को थोपकर बाज़ार में अपनी स्थिति को मज़बूत किया गया है।
- इसके अतिरिक्त तकनीकी कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं के डेटा को प्रसंस्कृत करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव भी गंभीर चिंता का कारण रहा है।
- शिथिल विनियमन: हाल के वर्षों में बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा नवाचार और विकास के क्षेत्र में तीव्र प्रगति की गई है, हालाँकि इस बीच नियामक इस दौड़ में बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ बराबर कदम बढ़ाने में सफल नहीं रहे हैं जिसके कारण वे किसी भी अनियमितता से निपटने के लिये तत्पर रहने की बजाय संबंधित मामले में केवल प्रतिक्रिया करने में सक्षम हैं, जो उनकी स्थिति को कमज़ोर करता है।
- भारत में बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियाँ एक नियामकीय वैक्यूम में काम करने में सफल रही हैं।
- एक मज़बूत नियामकीय व्यवस्था के अभाव के कारण वे श्रम के लिये पर्याप्त मुआवज़े, स्थानीय निगमन और कराधान कानून तथा पर्याप्त डेटा सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के संदर्भ में निरंतर उल्लंघन जैसे किसी नकारात्मक परिणाम (जैसे- कानूनी कार्रवाई आदि) से बच सकते हैं।

आगे की राह:

- व्यक्तिगत डेटा विनियमन को प्राथमिकता देना: वर्तमान में जब बाज़ार में व्यक्तिगत डेटा एक नया मानक बन गया है, ऐसे में प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत डेटा का उपयोग करने की प्रक्रिया का विनियमन इस क्षेत्र में आवश्यक सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक बिंदु होना चाहिये।
- गोपनीयता का अधिकार सुनिश्चित करना: विश्व भर की सरकारों द्वारा उपभोक्ताओं के गोपनीयता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिये कड़े सुरक्षा कानून लागू किये गए हैं। इसके तहत प्रौद्योगिकी कंपनियों के लिये कुछ बुनियादी और आवश्यक डेटा सुरक्षा तथा गोपनीयता प्रावधानों का पालन करने की अनिवार्यता निर्धारित की गई है।

नोट :

- इस संदर्भ में भारत में भी समर्पित डेटा सुरक्षा कानून (व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक) को लागू करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाई जानी चाहिये।
- व्यापक नियामकीय ढाँचा: वर्तमान में बाज़ार के एक बड़े हिस्से पर बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों का निर्विवादित रूप से एकाधिकार है, जिसका लाभ उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त होता है। साथ ही नियामकीय तंत्र में व्याप्त कमियाँ और इन कंपनियों के प्रति उपभोक्ताओं की निष्ठा ने इस एकाधिकार को पनपने में सक्षम बनाया है।
- इसके अतिरिक्त उपभोक्ता इन कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं को छोड़ने के लिये तैयार नहीं होंगे, इसलिये उपभोक्ता हितों पर केंद्रित नियामक और सुरक्षा उपायों के एक नेटवर्क को स्थापित किया जाना बहुत ही आवश्यक है।
- साथ ही इस प्रकार के विनियमन को क्षेत्र-विशिष्ट मुद्दों के प्रति जागरूक/संवेदनशील होना होगा और इसके लिये सबसे अधिक प्रभावी बहु-अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिये।
- सूचना का मुद्रीकरण: बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को अन्य संस्थानों की सामग्री (कंटेंट) का उपयोग अथवा प्रसारण (जैसे- फेसबुक की न्यूजफीड और गूगल सर्च में) करने के बदले उचित भुगतान का निर्धारण करने हेतु सभी हितधारकों के साथ बातचीत करनी चाहिये।

निष्कर्ष:

भारतीय बाज़ार के आकार और इसके प्रभाव को देखते हुए विश्व के सभी देशों का भारत की किसी भी नियामकीय कार्रवाई पर बारीकी से निगाह बनाए रखना एक सामान्य बात है और ऐसी कार्रवाई के विश्व के दूसरे हिस्सों में भी दूरगामी प्रभाव देखे जा सकते हैं।

अत: वर्तमान में नीति निर्माताओं के समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न यह होगा कि धनात्मक बाह्यकरण और उपभोक्ता अधिशेष में इंटरनेट फर्मों के योगदान को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ इन कंपनियों को अपनी एकाधिकार शक्ति का दुरुपयोग करने से रोकने हेतु किस प्रकार विनियमित किया जाए।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

भारतीय प्रवासी समुदाय

संदर्भ:

हाल ही में भारत द्वारा अपना 16वाँ वार्षिक प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। यह भारत की विशाल प्रवासी आबादी तक पहुँचने, उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करने और उन्हें जड़ों से जोड़ने के साथ भारत की विकास यात्रा में प्रवासी भारतीयों के जुड़ाव के लिये एक रूपरेखा प्रदान करने का अवसर है। भारत के राष्ट्रीय हितों की पैरवी करने, भारत की सॉफ्ट पावर का प्रसार और आर्थिक रूप से भारत के उत्थान में योगदान देने की प्रवासियों की पर्याप्त क्षमता को स्वीकृति मिलने लगी है।

हालाँकि, इस प्रवासी लाभांश का सदुपयोग करने के लिये भारत को इससे जुड़ी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए अपनी कूटनीति का संचालन करने की आवश्यकता है।

भारतीय प्रवासियों का महत्त्व:

- भारत की सॉफ्ट पावर में वृद्धि: भारतीय प्रवासी समुदाय/भारतीय डायस्पोरा (Indian Diaspora) कई विकसित देशों में सबसे धनी अल्पसंख्यकों में से एक हैं। "प्रवासी कूटनीति" में इन प्रवासियों की सकारात्मक भूमिका का महत्त्व स्पष्ट है, जिसके तहत वे भारत और अपने प्रवास के देशों के बीच संबंधों को मज़बूत करने में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।
- भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता इसका एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है, अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों द्वारा इस परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये सफलतापूर्वक पैरवी की गई।
- इसके अतिरिक्त भारतीय प्रवासी केवल भारत की सॉफ्ट पावर का हिस्सा ही नहीं हैं, बल्कि पूरी तरह से हस्तांतरणीय राजनीतिक वोट बैंक भी हैं।
- साथ ही भारतीय मूल के बहुत से लोग अनेक देशों में शीर्ष राजनीतिक पदों पर कार्यरत हैं, जो संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थानों में भारत के राजनीतिक प्रभुत्व को बढ़ाता है।
- आर्थिक सहयोग: भारतीय प्रवासियों द्वारा प्रेषित धन का भुगतान संतुलन (Balance of Payment) पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो व्यापार घाटे को कम करने में सहायता करता है। विश्व में भारत प्रवासियों द्वारा सर्वाधिक प्रेषित धन प्राप्त करने वाला देश है।
- कम कुशल श्रमिकों के प्रवास (विशेषकर पश्चिम एशिया की तरफ) ने भारत में प्रच्छन्न बेरोज़गारी को कम करने में सहायता की है।
- इसके अलावा प्रवासी श्रमिकों ने भारत में परोक्ष सूचनाओं, वाणिज्यिक और व्यावसायिक विचारों तथा प्रौद्योगिकियों के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया है।

प्रवासी भारतीयों की चुनौतियाँ और अन्य मुद्दे:

- भारतीय लोकतंत्र में प्रवासी भारतीयों की भूमिका: भारतीय प्रवासी एक गैर-सजातीय समूह के रूप में हैं और भारत सरकार से की जाने वाली इनकी मांगें भी अलग-अलग हैं।
- यही कारण है कि इन मांगों और भारत सरकार की नीतियों में अंतर्विरोध देखने को मिलता है। इसे हाल के किसान प्रदर्शनों को कुछ प्रवासी समूहों द्वारा प्राप्त समर्थन के रूप में देखा जा सकता है।
- पूर्व में भारतीय प्रवासियों के कई समूहों ने बहुत से कानूनों या कानूनी संशोधनों को रद्द करने की मांग की थी जिनमें कश्मीर में अनुच्छेद 370, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) आदि शामिल हैं।
- COVID-19 का प्रभाव: COVID-19 महामारी और इससे उत्पन्न चुनौतियों ने एक वैश्वीकरण विरोधी लहर को जन्म दिया है, जिसके कारण कई प्रवासी श्रमिकों को भारत लौटना पड़ा और अब उन्हें उत्प्रवास के संबंध में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है।
- इसने भारतीय प्रवासी समुदायों और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिये आर्थिक चुनौतियों में वृद्धि की है।

नोट :

- पश्चिम एशिया की अस्थिरता: इज़राइल और चार अरब देशों (यूएई, बहरीन, मोरक्को तथा सूडान) के बीच शांति समझौते (अब्राहम एकार्ड) को लेकर अतिउत्साह के बावजूद सऊदी अरब तथा ईरान के बीच मौजूदा तनाव के कारण पश्चिम एशिया की स्थिति अभी भी संवेदनशील बनी हुई हैं।
- इस क्षेत्र में किसी भी युद्ध की स्थिति में पश्चिम एशियाई देशों से भारी संख्या में भारतीय नागरिकों की वापसी होगी जिसके कारण प्रेषित धन में कटौती के साथ स्थानीय रोज़गार बाज़ार पर भी दबाव बढ़ेगा।
- नियामकीय चुनौतियाँ: वर्तमान में प्रवासी भारतीयों के लिये भारत के साथ सहयोग या देश में निवेश करने के संदर्भ में भारतीय प्रणाली में कई कमियाँ हैं।
- उदाहरण के लिये लालफीताशाही, मंज़ूरी मिलने में देरी, सरकार के प्रति अविश्वास आदि भारतीय प्रवासियों को अवसरों का लाभ प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करने का काम करते हैं।

आगे की राह:

- नीतिगत मामलों में पारदर्शिता: सोशल मीडिया उपकरणों ने भारतीय डायस्पोरा के लिये भारत में अपने परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहना अधिक आसान तथा सस्ता बना दिया है एवं वर्तमान में भारत से उनका संपर्क पहले की तुलना में कहीं अधिक मज़बूत हुआ है।
- वर्तमान में यह सबसे सही समय है कि भारत सरकार द्वारा सभी नीतिगत निर्णयों में अत्यधिक पारदर्शिता का पालन करते हुए लोगों के बीच बने इस मज़बूत बंधन का लाभ अपने राष्ट्रीय हितों के लिये उठाया जाए।
- नीति की आवश्यकता: वर्तमान में विश्व के कई सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों में बगैर किसी चेतावनी के भारी संकट आने की संभावना बनी रहती है और सरकारों को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिये बहुत कम समय मिलता है। ऐसे में संघर्ष क्षेत्रों से प्रवासी भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिये एक रणनीतिक प्रवासी निकास नीति की आवश्यकता है।
- व्यापार सुगमता को बढ़ावा देना: ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (Ease Of Doing Business) के क्षेत्र में किये गए सुधार प्रवासियों भारतीयों द्वारा देश में आसन निवेश को सक्षम बनाने में सकारात्मक और दूरगामी परिणाम प्रदान कर सकते हैं।
- भारत की विदेश नीति का उद्देश्य स्वच्छ भारत, स्वच्छ गंगा, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसी प्रमुख परियोजनाओं को सफल बनाने के लिये अपनी साझेदारियों का लाभ उठाना है। साथ ही इस दिशा में प्रवासी भारतीयों द्वारा व्यापक योगदान किये जाने की संभावनाएँ हैं।

निष्कर्ष:

'प्रवासी कूटनीति' का संस्थागत/संस्थानीकरण किया जाना इस तथ्य का एक स्पष्ट संकेत है कि भारतीय प्रवासी समुदाय भारत की विदेश नीति और संबंधित सरकारी गतिविधियों के लिये अत्यधिक महत्त्व का विषय बन गया है।

नोट :

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

बर्ड फ्लू संकट

संदर्भ:

भारत द्वारा स्वयं को बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लूएंज़ा (Avian Influenza) के प्रकोप से मुक्त होने के घोषणा के तीन माह बाद ही वर्ष 2021 की शुरुआत एक अभूतपूर्व बर्ड फ्लू की महामारी से हुई है। बर्ड फ्लू की इस हालिया घटना के कारण देश के 10 राज्यों में हज़ारों जंगली और पॉल्ट्री पक्षियों की मौत हो गई है।

एवियन इन्फ्लूएंज़ा जिसे आमतौर पर बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, पक्षियों की एक किस्म को प्रभावित करने वाला अत्यधिक संक्रामक विषाणु जनित रोग है। H5N1 इस वायरस का सबसे आम स्ट्रेन (Strain) है जो पक्षियों में गंभीर श्वसन रोग का कारण बनता है। हालाँकि इसके अन्य स्ट्रेन जैसे कि H7N1, H8N1, या H5N8 भी बर्ड फ्लू का कारण बनते हैं। बर्ड फ़्लू की घटनाओं की पुनरावृत्ति के कारण पक्षियों की मृत्यु दर में वृद्धि होती है जिसके कारण तेज़ी से विकसित हो रहे मुर्गी पालन उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा वायरस के उत्परिवर्तन और मनुष्यों में इसके संक्रमण का जोखिम भी बना रहता है। COVID-19 महामारी के कारण उत्पन्न अव्यवास्था को देखते हुए यह बहुत ही महत्तवपूर्ण हो गया है कि किसी भी विषाणु जनित रोग के प्रकोप को पर्याप्त निवारक और उपचारात्मक प्रयासों के माध्यम से शीघ्र ही नियंत्रित किया जाए।

बर्ड फ्लू की पुनरावृत्ति का कारण:

- स्रोत: जंगली पक्षियों को बर्ड फ्लू के वायरस का प्राकृतिक भंडार माना जाता है और प्रवासी पक्षियों के आगमन के मौसम में ऐसे प्रकोप के मामले का सामने आना बहुत ही सामान्य है।
- वायरस का प्रवास : ऐसा अनुमान है कि इस वायरस को सुदूर उत्तरी गोलार्द्ध के देशों जैसे- मंगोलिया और कज़ाख्स्तान के प्रवासी पक्षी भारत लाए हैं।
- बर्ड फ्लू संक्रमण पक्षियों के मल, उनके द्वारा दूषित जल निकायों के माध्यम से फैलता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, विश्व में बर्ड फ्लू की आधे से अधिक घटनाएँ मध्य एशियाई फ्लाईवे (CAF) में देखने को मिलती हैं, जो लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को कवर करती हैं।
- मानव निर्मित कारण: इसके अतिरिक्त WHO का मानना है कि खराब सफाई और स्वच्छता परिस्थितियों में पॉल्ट्री फार्मिंग की निरंतर वृद्धि वायरस के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायता करती है, ग़ौरतलब है कि ऐसे अधिकांश पॉल्ट्री फार्म्स में एक ही क्षेत्र में कई अतिसंवेदनशील प्रजातियों को रहना पड़ता है।

बर्ड फ्लू से संबंधित खतरे:

- मनुष्यों के लिये खतरा: H5N1 वायरल स्ट्रेन का पक्षियों से मनुष्यों में फैलने का इतिहास रहा है, परंतु मनुष्यों में बर्ड फ्लू के संक्रमण के मामले बहुत ही असामान्य हैं।
- हालाँकि WHO के अनुसार, मनुष्यों में बर्ड फ्लू के मामले "यदा-कदा" ही देखे जाते हैं, परंतु इन मामलों में मृत्यु दर लगभग 60% होती है।
- साथ ही इसमें आगे कहा गया है, ऐसी भी संभावनाएँ हैं कि H5N1 उत्परिवर्तित होकर मनुष्यों के बीच एक महामारी का खतरा पैदा कर सकता है।
- आर्थिक प्रभाव: बर्ड फ्लू के प्रकोप को रोकने का सबसे बेहतर उपाय एक नियंत्रण रणनीति है, जो मुख्य रूप से रोगग्रस्त पक्षियों को कलिंग [शिकार या वध (विशेष रूप से कमज़ोर या बीमार जानवरों का) द्वारा जानवरों के समूह को छोटा करने की प्रक्रिया] के माध्यम से हटाने पर केंद्रित है। इस तरह के सामूहिक विनाश से किसानों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

नोट :

- केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, भारत का पॉल्ट्री उद्योग व्यापार लगभग 80,000 करोड़ रुपए का है। इसके 80% हिस्से का प्रतिनिधित्व संगठित क्षेत्र द्वारा किया जाता है और शेष भाग असंगठित क्षेत्रों के बीच वितरित है, जिसमें बैकयार्ड मुर्गी पालन (Backyard Poultry-Keeping) भी शामिल हैं जो आय तथा पोषण सुरक्षा के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- इसके अतिरिक्त भारत प्रतिवर्ष सैकड़ों करोड़ रुपए का एग पाउडर, जर्दी पाउडर, चिकन उत्पाद और दवा सामग्री जैसे प्रसंस्कृत पॉल्ट्री उत्पादों का निर्यात करता है।

आगे की राह:

- निवारक उपाय: इन्फ्लूएंज़ा वायरस को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल कार्य है क्योंकि ये जलीय पक्षियों के विशाल समूह में बने रहते हैं। हालाँकि यदि 29 CAF देशों के बीच सूचनाओं का शीघ्र आदान-प्रदान हो तो बर्ड फ्लू के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है।
- इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र और WHO को प्रवासी पक्षियों में ऐसे रोगों की निगरानी के लिये CAF क्षेत्र के देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिये।
- पक्षियों और अन्य जानवरों के बीच बीमारी के किसी भी संकेत को पकड़ने के लिये केंद्र सरकार द्वारा 'पशुओं में संक्रामक एवं संसर्गजन्य रोगों के नियंत्रण तथा रोकथाम अधिनियम, 2009' के तहत पशु चिकित्सा कर्मचारियों के माध्यम से समय-समय पर निरीक्षण का कार्य किया जाता है।
- उपचारात्मक उपाय: भारत सरकार ने राज्य सरकारों को 'एवियन इन्फ्लूएंज़ा की रोकथाम और नियंत्रण के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना 2021' का अनुसरण करने का निर्देश देकर सही कदम उठाया है।
- यह योजना मुर्गी फार्मों के आस-पास एक जैव सुरक्षा बबल (Biosafety Bubble) बनाने की आवश्यकता पर ज़ोर देती है, ताकि पालतू पक्षियों को जंगली पक्षियों के निकट संपर्क में आने की संभावना को कम किया जा सके।
- इसके अलावा जहाँ बर्ड फ्लू से निपटने के लिये पक्षियों की कलिंग की जाती है, वहाँ प्रभावित किसानों को राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत निर्धारित दरों पर मुआवज़ा देने का प्रावधान किया गया है।
- हालाँकि किसानों की शिकायत है कि यह मुआवज़ा/क्षतिपूर्ति उन लाभों को कवर नहीं करता है जो लाभ वे नियमित व्यवसाय से कमा सकते थे।
- COVID-19 महामारी के बीच आई आर्थिक मंदी को देखते हुए सरकार को किसानों की मदद के लिये आवश्यक कदम उठाने चाहिये।
- शोध को बढ़ावा: विशेषज्ञों के अनुसार, बर्ड फ्लू को रोकना बहुत कठिन कार्य है क्योंकि CAF से संबंधित प्रवासी पक्षियों की वायरस ले जाने की क्षमता पर बहुत कम शोध किया गया है।
- ऐसे में वायरस के क्रमगत विकास की निगरानी के लिये वायरस के नमूनों का जीनोम अनुक्रमण करना भी महत्त्वपूर्ण है।
- किसानों द्वारा उठाए जाने वाले कदम: इनमें ऐसे उपाय शामिल हैं जो सभी किसानों के लिये प्रासंगिक हैं, इसमें प्रदूषण को कम करने के लिये पालतू पक्षियों के आवास क्षेत्रों में लोगों की आवाजाही को कम करना, सफाई और कीटाणुरहित करने पर विशेष ध्यान देना आदि शमिल हैं।

निष्कर्ष:

COVID-19 महामारी ने विश्व के समक्ष इस तथ्य को उजागर किया है कि किस प्रकार एक सूक्ष्मजीव पूरी दुनिया की गतिविधियों को रोक सकता है। अत: इस विषाणुजनित संक्रमण के प्रसार को गंभीरता से लेते हुए इसके नियंत्रण के प्रयासों के साथ एक स्थायी जीवन शैली (Sustainable Ways of Living) को अपनाया जाना बहुत ही आवश्यक है।

नोट :

सामाजिक न्याय

सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना

संदर्भ:

सामाजिक आबादी के बारे में लोगों को जानकारी देना, उसका वर्णन करना और समझाना एवं यह पता लगाना कि लोगों की पहुँच का स्तर क्या है, यह न केवल सामाजिक विज्ञानियों के लिये बल्कि नीति निर्माताओं और सरकार के लिये भी महत्त्वपूर्ण है। इस संबंध में भारत की जनगणना इस तरह के सबसे बड़े आयोजनों में से एक है जिसके माध्यम से भारतीय आबादी से संबंधित जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक जानकारी एकत्र की जाती है। हालाँकि जनगणना के आलोचक इसे डेटा संग्रह का एक प्रयास और शासन की तकनीक के रूप में मानते हैं, लेकिन एक जटिल समाज की विस्तृत और व्यापक समझ के लिये यह पर्याप्त रूप से उपयोगी नहीं है। इस संदर्भ में वर्ष 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (Socio-Economic and Caste Census- SECC) आयोजित की गई थी, लेकिन इसके अपने अन्य मुद्दे हैं।

जनगणना, SECC और दोनों में अंतर:

जनगणना:

- भारत में जनगणना की शुरुआत औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्ष 1881 में हुई।
- जनगणना का आयोजन सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य लोगों द्वारा भारतीय जनसंख्या से संबंधित आँकड़े प्राप्त करने, संसाधनों तक पहुँचने, सामाजिक परिवर्तन, परिसीमन से संबंधित आँकड़े आदि का उपयोग करने के लिये किया जाता है।
- 1940 के दशक की शुरुआत में वर्ष 1941 की जनगणना के लिये भारत के जनगणना आयुक्त 'डब्ल्यू. डब्ल्यू. एम यीट्स' ने कहा था कि जनगणना एक बड़ी, बेहद मज़बूत अवधारणा है लेकिन विशेष जाँच के लिये यह एक अप्रशिक्षित साधन है।"

सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना:

- वर्ष 1931 के बाद इसे पहली बार आयोजित किया गया था।
- SECC का आशय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय परिवार से उनके बारे में निम्न स्थितियों के बारे में पता करना है-
- आर्थिक स्थिति पता करना ताकि केंद्र और राज्य के अधिकारियों को वंचित वर्गों के क्रमचयी और संचयी संकेतकों की एक शृंखला प्राप्त हो सके, जिसका उपयोग प्रत्येक प्राधिकरण द्वारा एक गरीब या वंचित व्यक्ति को परिभाषित करने के लिये किया जा सकता है।
- इसका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति से उसका विशिष्ट जातिगत नाम पूछना है, जिससे सरकार को यह पुनर्मूल्यांकन करने में आसानी हो कि कौन से जाति समूह आर्थिक रूप से सबसे खराब स्थिति में थे और कौन बेहतर थे।
- SECC में व्यापक स्तर पर 'असमानताओं के मानचित्रण' की क्षमता है।

जनगणना और SECC के बीच अंतर:

- जनगणना भारतीय आबादी का एक समग्र चित्र प्रस्तुत करती है, जबकि SECC राज्य द्वारा सहायता के योग्य लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपाय है।
- वर्ष 1948 के जनगणना अधिनियम के तहत सभी आँकड़ों को गोपनीय माना जाता है, जबकि SECC की वेबसाइट के अनुसार, "SECC में दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग कर सरकारी विभाग परिवारों को लाभ पहुँचाने और/या प्रतिबंधित करने के लिये स्वतंत्र हैं।

SECC से जुड़ी विभिन्न चिंताएँ:

- जातिगत जनगणना का प्रभाव: जातिगत जनगणना में एक भावनात्मक तत्त्व निहित होता है जिसके राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव होते हैं।

नोट :

- इस बात पर चिंता जताई गई है कि जातिगत गणना किसी जाति की पहचान को मज़बूत बनाने में मदद कर सकती है।
- इन शंकाओं के कारण SECC के जारी होने के लगभग एक दशक बाद इसके आँकड़ों की बड़ी मात्रा जारी नहीं की गई या कई भागों में जारी की गई।
- जाति की परिस्थितिजन्य विशेषता: भारत में जाति कभी भी वर्ग या अभाव के संदर्भ में एक प्रतिनिधि के रूप में नहीं रही है, यह एक विशिष्ट प्रकार के अंत:स्थापित भेदभाव को बढ़ावा देती है जो प्राय: वर्ग स्थानांतरण को प्रोत्साहित करता है।

आगे की राह:

- मौजूदा आँकड़ों का उपयोग: हालाँकि SECC की अपनी बड़ी चिंताएँ हैं, परंतु जनगणना में एकत्रित डेटा को अन्य बड़े डेटासेटों से जोड़ा जा सकता है जिससे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण सरकारों को SECC के इच्छित लाभों से संबंधित जानकारी देने में सहायता कर सकता है।
- राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण उन मुद्दों को कवर करता है जो जनगणना में शामिल नहीं होते हैं- जैसे कि- मातृ स्वास्थ्य, भूमि और संपत्ति के स्वामित्व की जानकारी, उपभोग व्यय, रोज़गार की प्रकृति जो कि अधिक व्यापक विश्लेषण के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- डिजिटल विकल्प: अतनु बिस्वास जैसे सांख्यिकीविद् बताते हैं कि दुनिया भर में जनगणना अभियान महत्त्वपूर्ण बदलावों से गुज़र रहे हैं, जो सटीक, तेज़ और लागत प्रभावी डिजिटल तरीकों को नियोजित करने का प्रयास करते हैं।
- हालाँकि डिजिटल विकल्प और जनगणना कार्यों से जुड़े आँकड़ों को विभिन्न स्रोतों के साथ जोड़ना समावेशी और गैर-भेदभावपूर्ण है, परंतु डेटा की संवेदनशील प्रकृति को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

हालाँकि जनगणना अधिकारी पारदर्शिता की नीति के एक भाग के रूप में कार्यप्रणाली पर दस्तावेज़ प्रस्तुत करते हैं, फिर भी जनगणना और SECC के कार्यकर्त्ताओं के साथ-साथ जनगणना और SECC के अधिकारियों के बीच घनिष्ठ और निरंतर जुड़ाव की आवश्यकता है, क्योंकि जनगणना और SECC शासन के साथ-साथ शैक्षणिक हित से संबंधित प्रक्रियाएँ हैं।

The Vision

नोट :